(वाद सं0.-1180/2017)

10.09.2020

परिवादी, सत्येन्द्र कुमार, उपस्थित है।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला गया जिलान्तर्गत मुफस्सिल थाना के पुलिसकर्मियो द्वारा जनकपुर मोहल्ला मे दिनांक 18.12.2016 को दो गुटों के बीच गोलाबारी से संबंधित मामले मे परिवादी को गलत रूप से फँसाये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, गया द्वारा जांचोपरान्त समर्पित जांच प्रतिवेदनानुसार भारतीय सेना में कार्यरत रमण कुमार की पुत्री को स्कूल व कोचिंग जाने के क्रम मे छेड़छाड़ किये जाने को लेकर एक ललन कुमार द्वारा 1. मुन्ना यादव 2. चुन्नु यादव 3. सुनील यादव 4. सागर यादव 5. सत्येन्द्र यादव पुत्र किरानी यादव (परिवादी के कथनुसार परिवादी सत्येन्द्र कुमार है तथा उसके पिता का नाम सियावर सिंह यादव है) के विरूद्ध भा0द0सं0 की धाराओं 147/ 148/ 149/ 337/ 341/323/307/326 व शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत मुफस्सिल थाना कांड सं0 541/16, दिनांक 18.12.2016 संस्थित किया गया । उसी दिन (18.12.2016) की धटना को लेकर दो अन्य मामले (मुफस्सिल थाना कांड सं0 545/16 दिनांक–23.12.2016 तथा मुफस्सिल थाना कांड सं0–549/16 दिनांक–23.12.2016) भी धटना के 8 दिन बाद संस्थित किया गया।

मुफस्सिल थाना कांड सं0—541/16 दिनांक 18.12.2016 में अन्वेषणोपरान्त सत्येन्द्र यादव, पुत्र किरानी यादव, सहित सभी पांच अभियुक्तों के

विरूद्ध प्राथमिकी में उल्लेखित धाराओ के अंतर्गत उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया है जबकि मुफस्सिल थाना कांड सं0—545/16, दिनांक—23.12.2016 के अंतर्गत अज्ञात 100 व्यक्तियों के विरूद्ध भा0द0सं0 की धाराओं 147/ 148/ 149/ 307/326/ तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया है। मुफस्सिल थाना कांड सं0—549/16 वर्तमान में अन्वेषणान्तर्गत है।

परिवादी सत्येन्द्र कुमार पुत्र सियावर सिंह यादव, साकिन—जनकपुर, थाना—मुफस्सिल जिला गया उपरोक्त तीनों कांड़ो में अभियुक्त नहीं है।

उपरोक्त परिस्थिति मे परिवादी के उपरोक्त तीनो कांड़ो में से किसी में भी अभियुक्त नहीं होने तथा **मात्र आशंका के आधार पर** प्रसंगाधीन परिवाद दाखिल किये जाने को देखते हुए **प्रसंगाधीन परिवाद को तथ्यों के विपरीत पाते हुए संचिकास्त किया जाता है।**

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति को संलग्न करते हुए परिवादी को सूचित करे।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>**सहायक निबंधक**</u>